न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–57/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

1. साहबदीन पुत्र स्व0 श्री हुरमत,
2. कासमदीन पुत्र स्व0 श्री हुरमत,
3. हाकमदीन पुत्र स्व0 श्री हुरमत,
4. सकील पुत्र स्व0 श्री आसमदीन
5. आलम पुत्र स्व0 श्री आसमदीन,
6. शाहरूख पुत्र स्व0 श्री आसमदीन
7. जरीना पत्नी स्व0 श्री आसमदीन
8. जोयल पुत्र स्व0 श्री आसमदीन
9. नजराना पुत्री स्व0 श्री आसमदीन नाबालिग जरिये सरपरस्त माता खुद जरीना,
10. हिम्मी पत्नी स्व0 श्री रोशन,
11. लियाकत पुत्र स्व0 श्री रोशन,
12. आईसा पुत्री स्व0 श्री रोशन,
13. रिहाना पुत्री स्व0 श्री रोशन,
14. रूकसार पुत्री स्व0 श्री रोशन,
15. महरम पुत्री स्व0 श्री रोशन,
16. इरफान पुत्र स्व0 श्री रोशन,
17. रेशमी पुत्री स्व0 श्री हुरमत,
18. हकीमन पुत्री स्व0 श्री हुरमत जातियान मेव निवासीयान ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांटान

बनाम

1. मक्को पुत्री श्री कमलू जाति मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ हाल निवासी ग्राम माचडी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

.....रेस्पो0

2. मकूल पुत्र स्व0 कमलू, जाति मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. जाकिर हुसैन पुत्र स्व0 हुरमत, जाति मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर।
4. महती पुत्री स्व0 हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..... तरतीबी रेस्पोडेन्ट

5. तहसीलदार साहब जरिये लैण्ड होल्डर, तहसील रामगढ जिला अलवर
..... तकमीली रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री दिनेश यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अशोक कुमार चांगल, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 12.06.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी का इस आशय का पेश किया कि मिन प्रतिवादी संख्या 01 विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है तथा जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चला आ रहा है तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही रखते हैं और ना ही विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है बल्कि मिन प्रतिवादी संख्या 01 की खरीदशुदा आराजी है। कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वाद में वर्णित धाराओं में वाद प्रस्तुत नही कर सकता। इसलिये वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.06.2019 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 50 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा खाता संख्या 20 में वर्णित विवादित आराजी भी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जो अबट है।परन्तु खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी को वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के पास ज्यादा जमीन होने के कारण सिलिंग के वक्त रेस्पो0 प्रतिवादिनी के नाम बिना कब्ज व बिना प्रतिफल के बयनामा करा दिया था। लेकिन मौके पर कब्जा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का ही चला आ रहा है। चूंकि पक्षकारान के अधिकारों का निर्णय मूलवाद के निस्तारण के समय तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य से होगा। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर दावा खारिज फरमा दिया जिस कारण अपीलांट न्याय से वंचित रहा है। जबकि प्रतिवादिनी रेस्पो0 को तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई हक व अधिकार नही था। वादीगण अपीलांटस ने तहत अदालत में दावा इस अमर का दायर किया कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान ने जो बयनामा प्रतिवदिनी संख्या 01 के पक्ष में सिलिंग एक्ट से बचने के लिये कराया है वो बयनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के मुकाबले शून्य घोषित किया जावे व वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की आराजी मुतनाजा तक खातेदार काश्तकार घोषित किया

जावे लेकिन तहत अदालत द्वारा इस बिन्दु पर गौर नही किया। प्रतिवादिनी रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के बने कानून व नियम के अंतर्गत नही आता है। तहत अदालत को मैरिट के आधार पर दावे का निस्तारण करना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

जबाव बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि आराजी खसरा नंबर 05, 41, 42, 63, 78, 79 के संबंध में वादीगण अपीलांटस ने मिथ्या कथन करते हुये वाद पेश किया था। उक्त खसरा नंबरान रेस्पो0 मक्को पुत्री कमलू की तन्हा खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध व सरोकार नही है। गलत तथ्यों के आधार पर अन्य मुश्तर्का खाता में शामिल खसरा नंबरान के साथ उपरोक्त आराजी जो कि रेस्पो0 के स्वयं की खातेदारी की आराजी है उसे वाद में शामिल करते हुये न्यायालय को गुमराह करने के प्रयास किये गये हैं। खाता संख्या 50 की आराजी के अलावा खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी को अनावश्यक रूप से विवादित आराजी दर्शाया गया है। वादीगण अपीलांटस का यह कथन कि उक्त खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी रेस्पो0 को उनके बुजुर्गों से सिलिंग के दौरान मिली है इसके लिये वादीगण अपीलांटस को सिविल कोर्ट में वाद पेश करना चाहिये। राजस्व न्यायालय को इस प्रकार का वाद सुनने का कानूनन अधिकार नही है। खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी रेस्पो0 की स्वयं की खरीदशुदा आराजी है जिसकी मालिक तन्हा रेस्पो0 है, जो काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी खसरा नंबरान 05, 41, 42, 63, 78, 79 रेस्पो0 की तन्हा खातेदारी की आराजी है तो बंटवारा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार सही निर्णय पारित किया है। कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वाद में वर्णित धाराओं में वाद प्रस्तुत नही कर सकता। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की–आरआरटी 2020(1) पेज 08

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 12.06.2019 का अवलोकन किया। प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम बाघोडी पटवार हल्का खिलौरा तहसील रामगढ के अनुसार खाता संख्या 20 में अंकित आराजी खसरा नंबर 05 रकबा 3.67है0, खसरा नंबर 41 रकबा 0.01है0, खसरा नंबर 42 रकबा 0.79 है0, खसरा नंबर 63 रकबा 0.81 है0, खसरा नंबर 78 रकबा 1.20 है0, खसरा नंबर 79 रकबा 0.82 है0 तन्हा मक्को पुत्री कमलू मेव सा. देह खातेदार दर्ज है।

खाता संख्या 50 में वर्णित आराज़ी खसरा नंबर 20, 23/162, 24, 28, 31, 45, 94 हुरमत, मकूल पि. कमलू, मक्को पुत्री कमलू समभाग मेव सा. सरहेटा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

अपील मीमो के जिमन संख्या 06 में अपीलांट द्वारा अंकन किया गया है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के पास आराजी अधिक होने के कारण सीलिंग के वक्त असल प्रतिवादिनी के नाम बिना कब्जा व बिना प्रतिफल के बयनामा करा दिया था

लेकिन मौके पर कब्जा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का ही चला आ रहा है, की बाबत् अपीलांट के द्वारा कोई साक्ष्य/प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता संख्या 50 जो कि राजस्व रिकार्ड में शामलात भूमि है, के हेतु पृथक से दावा लाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल खारिज के है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय दिनांक 12.06.2019 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर